भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 08

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)

भवन तथा अन्य निर्माण कामगार

08. श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री धनुष एम.कुमार:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री गौतम सिगामणि पोन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 विश्वमारी की दूसरी लहर के दौरान दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के कारण भारत के असंगठित क्षेत्र के सबसे वंचित वर्ग भवन तथा अन्य निर्माण कामगार बुरी तरह से प्रभावित हुए तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने इन निर्माण कामगारों को नकदी सहायता संवितरित करने हेतु राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया था;
(ग) यदि हां, तो संवितरित नकदी सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इन नकदी सहायता के अंतरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए;
(घ) क्या अपने घरों से दूर विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन आंशिक, स्थानीय आंशिक, स्थानीय, विशिष्ट और समय, भूगोल, अवधि, प्रतिबंधों और रियायतों के अनुसार केंद्रित थे। निर्माण गतिविधियों, विनिर्माण उद्योगों, आवश्यक सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन को आम तौर पर राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से छूट दी गई थी और उन्हें बिना किसी अधिक व्यवधान चलाया जा रहा था।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई चुनौतीपूर्ण स्थिति जिसके कारण भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सन्निर्माण कामगारों के बैंक खातों में पर्याप्त निधियों के अंतरण हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) (आरई एण्ड सीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1)(ज) के अंतर्गत स्कीम तैयार करने के लिए परामर्शिका जारी की गई थी।

इसके उत्तर में, कोविड-19 की पहली लहर के दौरान, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों ने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद 1.83 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से संचयी रूप से 5618 करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपकर निधि से लगभग 30 लाख कामगारों को खाद्य राहत पैकेज भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, 1.23 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1795 करोड़ संवितरित किए गए हैं। बीओसी कामगारों को प्रदान की जाने वाली नकद सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*   *******

'भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों' से संबंधित दिनांक 19.07.2021 के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 8 (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>वैश्विक महामारी के दौरान बीओसी कामगारों को प्रदान की गई नकद राहत की राज्य-वार स्थिति</u>

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम.	कोविड-19 की पहली लहर के दौरान		कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान	
		सहायता प्रदान किए गए बीओसीडब्ल्यू कामगारों की कुल	संवितरित कुल राशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्रदान किए गए बीओसीडब्ल्यू कामगारों की कुल संख्या	संवितरित कुल राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	19,67,484	196.75	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3,000	0.6	0	0
3	असम	2,21,378	44.28	0	0
4	बिहार	11,07,696	221.54	0	0
5	छत्तीसगढ	2,02,579	0	0	0
6	गोवा	5,117	3.07	0	0
7	गुजरात	3,74,372	37.44	0	0
8	हरियाणा	3,10,935	154.68	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1,33,090	77.34	0	0
10	जम्मू-कश्मीर (लद्दाख सहित)	1,70,131	68.05	0	0
11	झारखंड	1,99,226	20	0	0
12	कर्नाटक	13,62,438	681.22	19,48,000	584.40
13	केरल	6,94,123	69.44	6,96,129	69.61
14	मध्य प्रदेश	8,91,850	178.37	12,00,000	120
15	महाराष्ट्र	9,67,556	483.78	10,33,052	154.95
16	मणिपुर	52,605	5.26	0	0
17	मेघालय	24,730	12.37	0	0
18	मिजोरम	51,451	15.44	0	0
19	नागालैंड	19,046	3.81	20,000	4
20	उड़ीसा	18,37,000	275.55	0	0
21	पंजाब	2,90,638	174.38	5,81,202	87.18
22	राजस्थान	7,58,102	1799.91	0	0

23	सिक्किम	7,836	1.57	0	0
24	तमिलनाडु	13,70,601	274.12	0	0
25	तेलंगाना	8,30,324	124.55	0	0
26	त्रिपुरा	39,082	11.72	0	0
27	उत्तर प्रदेश	18,24,771	353.84	67,00,000	670
28	उत्तराखंड	2,28,423	45.68	0	0
29	पश्चिम बंगाल	21,98,349	219.83	0	0
30	दिल्ली	43,945	43.95	2,10,684	105.342
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12,856	7.01	0	0
32	चंडीगढ़	6,670	4	0	0
33	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	1,109	1.65	0	0
36	पुदुचेरी	35,765	7.15	0	0
	कुल	**1,82,44,278**	**5,618.35**	**1,23,89,067**	**1,795.482**

*****